न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 953–एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–06–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 277/2011–12/अपील ।

.....

रामलाल पिता श्रीराम कलोता
निवासी ग्राम मुरझाल तहसील खातेगॉव
जिला देवास

..... आवेदक

विरूद्ध

छगनलाल पिता बालाराम बिश्नोई
निवासी ग्राम मुरझाल तहसील खातेगॉव
जिला देवास

.....अनावेदक

.....

श्री एम0एल0पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री शेखर श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–06–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मुरझाल तहसील खातेगॉव में पटेल का पद रिक्त होने से आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी खातेगॉव जिला देवास ने तहसीलदार खातेगॉव से जॉच करवाई और तहसीलदार के द्वारा विज्ञप्ति आदि जारी करने के पश्चात् आवेदक की पटेल के पद पर नियुक्ति की गई थी । उक्त नियुक्ति आदेश दिनांक 26–5–2009 को जारी किया गया था । आवेदक लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि तक पटेल के पद पर कार्य करता रहा है उसके बाद अनावेदक ने कलेक्टर जिला देवास के समक्ष एक अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक 31–3–2011 को प्रकरण कमांक 1/अपील/2010–11 पर स्वीकार कर दिनांक 26–5–2009 को आवेदक की जो नियुक्ति का आदेश दिया था उसे निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई थी । उक्त अपील स्वीकृति के आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण कमांक 277/2011–12 पर कायम हुई जिसमें दिनांक 6–4–11 को अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 11–4–11 को स्थगन जारी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख आहूत करने का आदेश पारित किया तथा अंतिम आदेश दिनांक 02–06–2011 को पारित करते हुये अपील निरस्त कर दी जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह आधार प्रस्तुत किये जिसमें बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश में यह लिखा कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया जबकि मूल अभिलेख तलब होने के पश्चात सुनवाई के समय आया ही नहीं तब किन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है और आवेदक की अपील निरस्त कर दी । तर्क में यह भी बताया कि स्थाई पटेल की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 8–5–09 को इश्तिहार जारी करने के संबंध में आदेशिका तहसीलदार के द्वारा लिखी गई । दिनांक 8–5–09 को जो आदेशिका लिखी गई उसमें 45 दिन की अवधि निश्चित की गई थी । उक्त अवधि में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति आदि प्रस्तुत नहीं की गई और अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा आवेदक को संहिता की धारा 222 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई इस महत्वपूर्ण तथ्य को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अवधि की गणना करने में त्रुटि

की है । तहसीलदार ने अस्थाई पटेल को स्थाई करने की अनुशंसा की जबकि सही स्थिति यह है कि तहसीलदार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी और निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति जब प्राप्त नहीं हुई तब आवेदक को ही स्थाई पटेल नियुक्त करने के संबंध में आदेश दिया था । अगर अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया जाता तो यह विसंगति आदेश में नहीं होती । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक को ग्राम मुरझाल के पटेल पद पर दिनांक 26–5–09 की नियुक्ति स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क किये गये कि पटेल पद के लिये विधिवत् विज्ञप्ति जारी नहीं हुई । कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ फिर भी आवेदक को विधि विरूद्ध नियुक्ति दी गई अपर कलेक्टर ने विधिवत् सुनवाई कर प्रस्तुत न्यायदृष्टांत वर्ष 1976 आरएन 27, 1992 आरएन 245 एवं 1982 आरएन 183 के आधार पर आदेश पारित किया है तथा जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है । अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा भी आवेदक की अपील निरस्त करने में विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । आवेदक को पूर्व में अस्थाई पटेल नियुक्त किया गया था । पटेली नियमों के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी होने के बाद उसे स्थायी पटेल के लिये आवेदन देना था जो उसने नहीं किया । स्पष्ट है कि प्रकरण में नियमों का पालन कर उसकी नियुक्ति नहीं हुई अतः कलेक्टर द्वारा विधिवत् पुनः नियुक्ति की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है तथा अपर आयुक्त ने इस आदेश की पुष्टि में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर